



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या व.सं/61/2022-718

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची,
द्वितीय तल झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय
हरमू चौक, राँची-834002, झारखण्ड।

पटना 14, दिनांक-26/09/2024

विषय — भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप—नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/BR/Pipeline/154538/2022/257 दिनांक 26.04.2024 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया का पत्रांक 1256 दिनांक 04.07.2024, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक 1654 दिनांक 25.06.2024 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर का पत्रांक 1066 दिनांक 21.08.2024 तथा प्रयोक्ता एजेंसी का पत्रांक 12 दिनांक 14.05.2024 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Pipeline/154538/2022/257 दिनांक 26.04.2024 द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का निराकरण प्रतिवेदन निम्नलिखित है—

क्रम सं.	पृच्छा	निराकरण
1	No objection certificates from the concerned dept. like Railway/Road/Canal dept. needs to be uploaded no portal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित विभाग से No objection certificates प्राप्त परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	Undertaking for FRA certificate needs to be uploaded on portal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण उपलब्ध कराया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। इसे परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है।

3	The .kml of complete alignment of proposed route for laying of pipeline is not available on parivesh portal. This needs to be uploaded on portal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि के पूरे alignment के लिये संशोधित .kml file को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
4	Area proposed for diversion is 0.42541 ha. but as per DSS analysis it is calculated as 1.434 ha. This needs rectification.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का संशोधित .kml file को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
5	The .kml, toposheet and DGPS map uploaded at sl no. 13 under Araria division in Part-II of the proposal for the proposed CA site is wrong. Corrected .kml file of proposed CA area, toposheet and DGPS map needs to be uploaded on PARIVESH portal.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित वन भूमि का संशोधित .kml file, toposheet and DGPS map को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
6	Site suitability certificate of proposed CA area needs to be uploaded on portal.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपर्युक्त है से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। इसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
7	As per DSS report, it seems that the area proposed for diversion is in violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. This needs to be clarified.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रयोक्ता एजेंसी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि विषयगत परियोजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं/61/2022-718 दिनांक-26/09/2024

प्रतिलिपि- सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, सरकार को भारत सरकार के पत्रांक FP/BR/Pipeline/154538/2022/257 दिनांक 26.04.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

(37)

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर
सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन-812003
ईमेल-dfobhagalpur@gmail.com

पत्रांक- 1066

भागलपुर, दिनांक-21/08/2024

प्रेषक,

श्वेता कुमारी "वि0व0से0",
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)



विषय :-

भागलपुर कटिहार, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि0 द्वारा पारादीप- नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.42541 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्र संख्या व0सं/61/2022-275 दिनांक- 08.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्रस्तावित परियोजना में वन अपयोजन के प्रस्ताव पर पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के संबंध में के क्षेत्र पदाधिकारी, कहलगाँव के पत्रांक-170 दिनांक-21.08.2024 द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित प्रतिवेदित है कि भागलपुर जिलान्तर्गत वन भूमि में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पारादीप-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने का कार्य नहीं किया गया है।

अतः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत में प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का अधिनियम- 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन,

(श्वेता कुमारी)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर।

पत्रांक- 1066 दिनांक- 01.09.2024

कार्यालय : वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कहलगांव वन प्रक्षेत्र।

पत्रांक :- 170

दिनांक :- 21/8/24

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी

भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर

विषय: भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया एवम् किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालिगढ़ रिफाइनरी लि. द्वारा पारादीप-नुमालिगढ़ Crude Oil underground pipeline विज्ञान हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि उपयोग का।

प्रसंग: भवदीय पत्रांक: 1147 दिनांक: 03.08.2024

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में दिनांक 20.08.2024 को वनपाल पूनम कुमारी एवम् प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा संयुक्त स्थलीय जांच कराई गई। स्थलीय जांचोपरांत पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया गया है एवम् वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस पत्र के साथ जांच प्रतिवेदन एवम् GPS photo संलग्न समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन

RKSingh
21.8.2024
वनो के क्षेत्र पदाधिकारी

कनो के शीर वगैरह
अदलाने पर

आगलपुर जिला नगर मुखालीगट्ट दिवाडेन
होना मुखालीगट्ट दिवाडेन से परदेन
अदलाने से मुखालीगट्ट दिवाडेन
के अदलाने से मुखालीगट्ट दिवाडेन
के अदलाने से

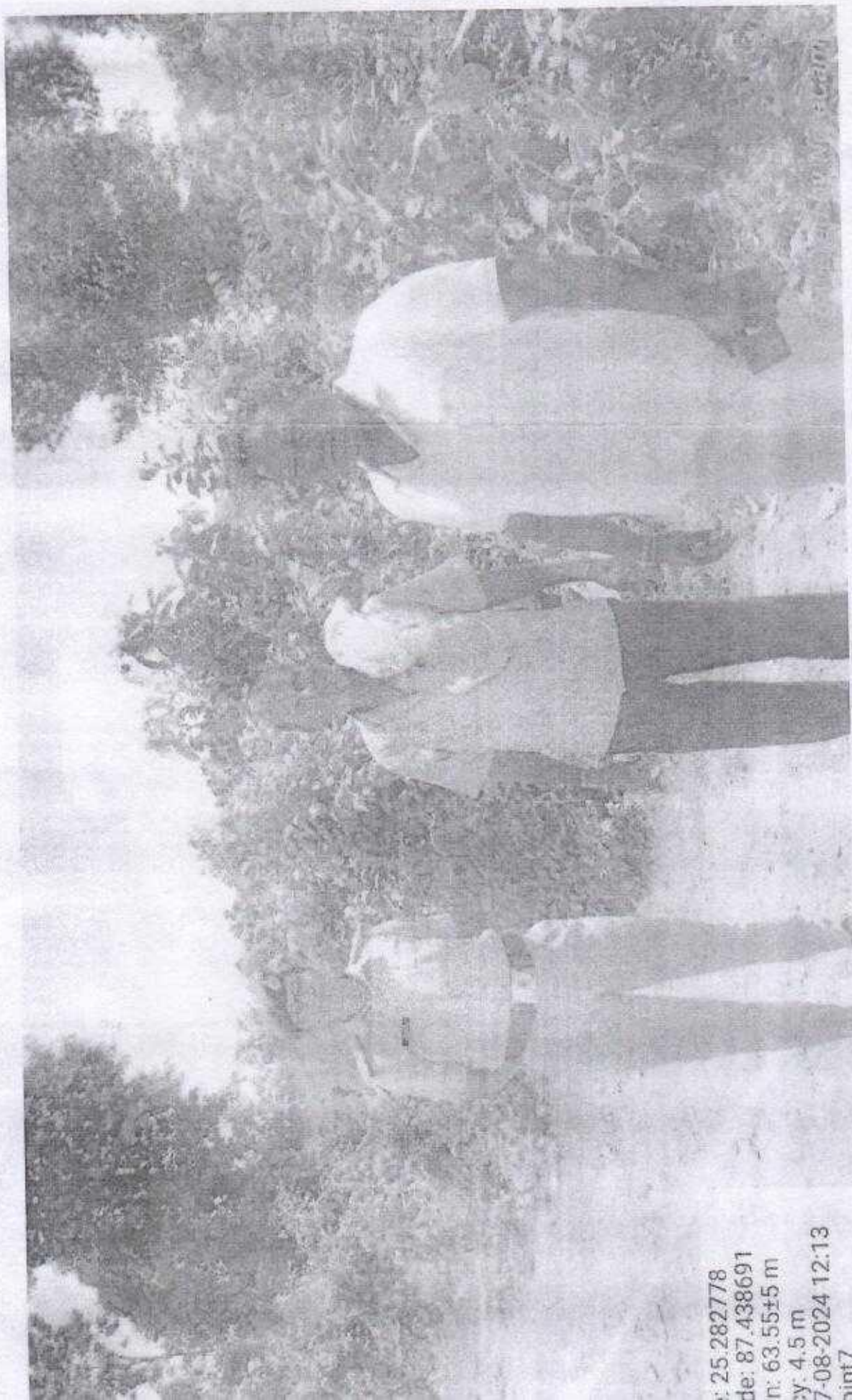
अदलाने अदलाने से मुखालीगट्ट दिवाडेन
अदलाने

अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से

अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से

अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से
अदलीवर दिवाडेन आदर से दिवाडेन से

34



25:282778
de: 87.438691
n: 63.55±5 m
y: 4.5 m
7-08-2024 12:13
oint7

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय-वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

पत्र संख्या :- 758

प्रेषक :- संजय प्रकाश, भा.व.से.
वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षक संभाग)

पूर्णियाँ दिनांक :- 15/07/2024

विषय :- भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीय-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु (वन संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.42541 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक - 275 दिनांक 08.05.2024 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक - 1654 दिनांक 25.06.2024

महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीय-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने संबंधी प्रस्ताव पर की गई पृच्छा के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ ने अपने पत्रांक - 1654 दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित की गई है, जिसकी छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न समर्पित है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ
15/07/24



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

नियर गिरजा चौक, मुख्य डाकघर के सामने बो०+जिला-पूर्णियाँ - 854301

Ph. No.- 06454 242744

पत्र संख्या :- 1654

प्रेषक :- राजीव रंजन, भा.व.से.,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

सेवा में,
वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

पूर्णियाँ, दिनांक :- 25/06/24

विषय :- भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीय-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.42541 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग :- उप वन संरक्षक कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (कम्पा एवं वन संरक्षण समीग) का पत्रांक-275 दिनांक-08.05.2024, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक-675 दिनांक-24.06.2024 एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कटिहार का पत्रांक-807, दिनांक-21.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना में वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त हुआ। उक्त के संबंध में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कटिहार के प्रासंगिक पत्र द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित है कि पूर्णियाँ/कटिहार जिलान्तर्गत वनभूमि में नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीय-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

अतः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्णियाँ तथा कटिहार जिला में प्रस्तावित स्थल अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ

कार्यालय :- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ।

कलामवन रोड, पूर्णियाँ 854301

पत्रांक : 675

दिनांक : 24/06/2024

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

विषय :- भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारदवीय-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.42541 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्तावन पर पुच्छा के संबन्ध में।

प्रसंग :- नवदीय के कार्यालय का पत्र सं०-1842, दिनांक-24.06.2024

महोदय,

उपयुक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत वनभूमि में नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारदवीय-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप बिछाने का कार्य नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वामाजन

पूर्णियाँ प्रक्षेत्र,
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय :- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कटिहार प्रक्षेत्र, कटिहार।
भेरिया रेहिका, 854105

पत्रांक 101

दिनांक 21/06/24

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल पूर्णियाँ।

R
24/06/2024

विषय :- भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीय-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.42541 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय कार्यालय का पत्र संख्या- 1477 दिनांक-03/06/2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि कटिहार जिला अंतर्गत वनभूमि में नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीय-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप बिछाने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

विश्वासभाजन

R
21/06/24

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
कटिहार





बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल अररिया।

गोढ़ी चौक, अररिया, पिन 854311, बिहार

☎-05453-224373, ✉-dfoararia@gmail.com



पत्रांक :- 1256

दिनांक :- 04.04.24

प्रेषक,

मेधा यादव बि०व०से०
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)।



विषय :-

भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्र संख्या व०सं/61/2022-275 दिनांक 08.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप-नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् है :

i.	No objection certificates from the concerned dept. Like Railway/Road/Canal dept. needs to be uploaded on portal	: Uploaded by User Agency.
ii	Undertaking for FRA certificate needs to be uploaded on portal.	: Uploaded by User Agency.
iii	The kml of complete alignment of proposed route for laying of pipeline is not available on parivesh portal. This need to be uploaded on portal.	: Uploaded by User Agency.
iv	Area proposed for diversion is 0.42541 ha. But as per DSS analysis it is calculated as 1.434 ha. This needs rectification.	: Rectified by User agency
v	The kml, toposheet and DGPS map uploaded at sl no. 13 under Araria division in Part-II of the proposal for the proposed CA site is wrong. Corrected kml file of proposed CA area, toposheet and DGPS map needs to be uploaded on PARIVESH portal.	: Attached.
vi	Site suitability certificate of proposed CA area needs to be uploaded on portal.	: The selected site is suitable of plantation. The kml file of proposed site is attached.

vii	As per DSS report, it seems that the area proposed for diversion is in violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardham) Adhiniyam, 1980. This needs to be clarified.	: During the site inspection of the proposed land, No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardham) Adhiniyam, 1980 is observed in Forest land. However the User Agency has started their work in non forest land.
-----	---	--

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

04/07/24

NRL/PNCPL/Forest/EDS/Patan /2024/12

Dated: 14.05.2024

To,
Additional Principal Chief Conservator of Forest,
Aranya. Bhawan,
Patna-800014, Bihar

Sub: Proposal for Diversion of 0.42541 Hectare of Forest Land (0.009 Ha in Banka Forest Division, 0.32341 Ha in Purnia Forest Division and 0.093 Ha in Araria Forest Division) for laying of 660 mm (26") dia crude oil pipeline along with 51mm Optical Fiber Cable in respect of "Numaligarh Refinery Limited, Paradip-Numaligarh Crude Oil pipeline Project in the districts of Bhagalpur, Purnia, Katihar, Araria and Kishanganj Bihar State.

Ref: Your Letter No. FP/BR/Pipeline/154538/2022/257 दिनांक: 26.04.2024

Dear Sir,

As per the above subject, we are hereby submitting the documents requested by your office vide letter no. 257 दिनांक: 26.04.2024

1. No objection certificates obtained from the concerned dept. like Railway/Road/Canal dept.
2. Undertaking for FRA certificate.
3. The kml file of complete alignment of proposed route for laying of pipeline.
4. DSS analysis report area has been corrected as per proposed for diversion area i.e.; 0.42541 Ha.
5. Area proposed for diversion is equals to the area calculated in DSS analysis report, hence there is no violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

Considering the project is of national importance and is being monitored by Government of India, we seek your cooperation and request you to accord necessary permissions on priority for laying of proposed pipeline along with OFC duct /cable in the Forest land area your jurisdiction.

Thanking you,

With Regards,

Numaligarh Refinery Limited,

Encl: As above



Indrajit Kaman
Chief Manager (Project - Pipeline)
Numaligarh Refinery limited

Indrajit Kaman
Chief Manager (Project - Pipeline)
Numaligarh Refinery Ltd.
122A, G. S. Road, Christian Basti
Guwahati-781005

Please reply to:
NRL Registered office,
(0361) 203146

Project Pipeline Division, Numaligarh Refinery Limited, 122A, Christian Basti, G.S Road Guwahati - 781 005, Phone : 0361 220 3140, Telefax :

REFINERY OFFICE
Pankagranti, P.O : Numaligarh Refinery Complex,
Dist : Golaghat, Assam, Pin - 785 699,
Fax : 03776-265755
EPABX - 03776-265-593 / 594 / 413

COORDINATION OFFICE
Tolstoy House, 6th Floor, 15-17, Tolstoy Marg
New Delhi - 110 001 (India)
Phone : (011)23739411, 23739413
Telefax : (011) 23739412
E-mail : numaligarh@del2.vsnl.net.in

KOLKATA OFFICE
4th Floor, Bharat Bhawan, Plot No. 31, KIT Scheme No
118 Prince Gulam Md. Shah
Road, Gulf Green, Kolkata - 700 095
Phone : (033) 24293054 / 3055
Telefax : (033) 24293079
E-mail : nrl@calltiger.com

Full Title of the Project:-

Proposal for Diversion of 0.42541 Hectare of Forest Land (0.093 He in Araria Forest Division, 0.009 He in Bhagalpur Forest Division and 0.32341 Ha in Purnia Forest Division) for laying of 660 mm (26") dia crude oil pipeline along with 51mm Optical Fiber Cable in respect of "Numaligarh Refinery Limited, Paradip Numaligarh Crude Oil pipeline Project".

UNDERTAKING FOR SUBMISSION FRA CERTIFICATE BEFORE ACCORDANCE OF FINAL APPROVAL.

Numaligarh Refinery Limited do here by undertake to submit the Forest Right Act 2006 Certificate (FRA Certificate) in respect of proposed diversion of 0.42541 ha of forest land falling under Banka Forest division of Bhagalpur district (0.009 ha), Araria Forest division of Kishanganj district (0.093 ha) and Purnia Forest division of Purnia and Katihar district (0.32341 ha) for laying of proposed Paradip Numaligarh Crude Oil Pipeline before accordance of Final Approval.

For Numaligarh Refinery Limited



Indrajit Kaman
Chief Manager (Project – Pipeline)
Numaligarh Refinery Limited

Indrajit Kaman
Chief Manager (Project - Pipeline)
Numaligarh Refinery Ltd.
122A, G. S. Road, Chishanbasti
Guwahati-781005

Date: 14.05.2024

Place:

Araria Forest Division, Araria

Certificate for Suitability of area identified Compensatory afforestation

The Compensatory afforestation is proposed at Kishanganj District (Kishanganj range of Araria forest division) in the campus of Kishanganj Girls High School. This site for Compensatory afforestation is suitable for plantation and can be sustainably managed.



Divisional Forest Officer,
Araria Forest Division, Araria

